कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड
ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

पत्रांक:- 197/प्रशा0-II/ए.जी.यू.के/कार्यालय आदेश/अवकाश स्वीकृति/2025-26/69 दिनांक:- 09-10-2025

कार्यालय आदेश

प्रायः यह संज्ञान में आया है कि खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग के कुछ कर्मचारी/अधिकारी द्वारा चल/अचल सम्पत्ति क्रय/विक्रय अथवा ऋण लेने की सूचना भी कार्यालय को CCS (Conduct) Rule 1964 के नियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जिसमें समय समय पर निर्देशित किया गया है।

ज्ञात है कि:

1. **CCS (Conduct) Rule 1964 के नियम 18(2)** के अंतर्गत प्रत्येक कोई भी कार्मिक निर्धारित प्राधिकारी के पूर्व ज्ञान के बिना, अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर भूमि , मकान, इमारत, वाहन, ज्वैलरी, कृषि, औद्योगिक सम्पत्ति इत्यादि का क्रय/विक्रय नहीं करेगा।
2. **CCS (Conduct) Rule 1964 के नियम 18(3)** के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा या तो अपने नाम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर, किसी व्यक्ति या संस्था से ऋण लेने से पूर्व कार्यालय को सूचित किया जाना आवश्यक है। बिना सूचना के ऋण लेना नियमानुसार वर्जित है, एवं ऐसा करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
3. **CCS (Conduct) Rule 1964 के नियम 17** के तहत प्रत्येक कर्मचारी को किसी प्रकार की दिवालियापन (दिवालियापन की प्रक्रिया/ऋण न चुकाने की स्थिति) के मामले में कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग के कर्मचारी/अधिकारी को उक्त नियमों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है की निम्नलिखित सूचनाये

(क) अचल सम्पत्ति के क्रय/विक्रय के पूर्व ,

(ख) चल सम्पत्ति के क्रय/विक्रय के एक माह के भीतर , तथा

(ग) किसी भी प्रकार के ऋण लेने से पूर्व ,

यथानिर्दिष्ट प्रारूप में कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
LOKESH DATAL
Date: 09-10-2025
09:24:58

वरि० उप महालेखाकार/प्रशासन

पत्रांक:- 197/प्रशा0-II/ए.जी.यू.के/कार्यालय आदेश/अवकाश स्वीकृति/2025-26/692-95 दिनांक:-

कार्यालय आदेश की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालना हेतु प्रस्तुतः-

1. सचिव, महालेखाकार (ले० एवं हक०), कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तराखण्ड , देहरादून
2. प्रभारी, उप महालेखाकार/प्रशा प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार(ले.एवम् हक.) उत्तराखण्ड देहरादून |
3. सम्बंधित कर्मचारियों/अधिकारीयों को कार्यालय कि अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से |
4. स०ले०अ०/आई.टी.एस.जी अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय कि वेबसाइट पर खंडीय लेखाकार कोर्नर पर अपलोड करें |

Digitally signed by
Ashwani Singh
Date: 14-10-2025
14:54:25

वरि० लेखाधिकारी/प्रशा-II